

# Daily Current Affairs

Date : 28 April, 2026



## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना' के नियमों में संशोधन
2.	राजस्थान में IBM का एकमात्र कार्यालय : अजमेर
3.	15 दिवसीय 'ग्राम रथ अभियान'
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. जयपुर रेंज पुलिस का 'मिशन सेफर रोड' 2. IIT जोधपुर में टी-55 टैंक एवं 'धर्म' भित्ति शिल्प का लोकार्पण
5.	लघु जल विद्युत विकास योजना
6.	अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त
7.	राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा का अधिकार
8.	स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स (SIFoF) 2.0 योजना
9.	फॉकलैंड द्वीप
10.	एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम (Atelasi)
11.	बनेई मेनाशे समुदाय
12.	परियोजना AI4जलनीति
13.	जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण परियोजना
14.	भारत की अंतरिक्ष-अर्थव्यवस्था

--:1:--



## राजस्थान परिदृश्य



### 'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना' के नियमों में संशोधन



#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना' (बेरोजगारी भत्ता) के नियमों में बदलाव करते हुए पात्रता की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष कर दी। इस योजना के तहत पूर्व में न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं था।



## मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

### के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मिलेगा वित्तीय सहयोग

अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन करें



Department Name :  
EMPLOYMENT DEPARTMENT

Service Name :  
Employment - Mukhyamantri Yuva Sambal  
Yojana Unemployment Allowance



#### मुख्य बिन्दु:

- योजना की शुरुआत : 1 फरवरी, 2019 से।
- संबंधित विभाग : कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग।

# Daily Current Affairs

Date : 28 April, 2026



- **नाम परिवर्तन** : वर्ष 2021 में 'मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना - 2021' कर दिया गया।
- संशोधित योजना पूरे राज्य में 1 जनवरी, 2022 से लागू हुई।

## पात्रता :

- प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- राजस्थान में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त कर चुका हो।
- अन्य राज्य से स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान के मूल निवासी से हुआ हो।
- आवेदन के समय प्रार्थी राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत न हो। साथ ही, प्रार्थी के पास स्व-रोजगार भी नहीं हो।
- **अधिकतम आयु सीमा** : सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेंडर, महिला एवं विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) आशार्थियों के लिए 35 वर्ष।
- **अधिकतम अवधि** : बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम दो वर्ष की अवधि अथवा उसके नियोजन/स्व नियोजन प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो)।
- **लाभार्थियों की अधिकतम सीमा** : प्रत्येक वर्ष में अधिकतम दो लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता।
- प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद पर से पदच्युत (बर्खास्त) नहीं किया गया हो।
- यदि एक परिवार में एक से अधिक बेरोजगार है तथा वे इस योजना के तहत योग्य हैं तो उनमें से जनआधार कार्ड के अनुसार अधिकतम दो व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

--3--

## राजस्थान में IBM का एकमात्र कार्यालय : अजमेर

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने खनन क्षेत्र में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने और प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

### मुख्य बिन्दु:

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से भारतीय खान ब्यूरो (IBM) के क्षेत्रीय अधिकारियों को खनन योजनाओं के अनुमोदन के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- नई अधिसूचना के तहत 5 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्र वाली क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक (Mica) और बेराइट्स (Barytes) खदानों की खनन योजनाओं को अब क्षेत्रीय स्तर पर ही मंजूरी दी जा सकेगी।
- ज्ञातव्य है कि राजस्थान में IBM का एकमात्र कार्यालय अजमेर में स्थित है।
- **भारतीय खान ब्यूरो** : वर्ष 1948 में स्थापित खान मंत्रालय के तहत एक बहु-विषयक सरकारी संगठन।
- यह कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आप्तिक खनिज और लघु खनिजों को छोड़कर, अन्य खनिजों के संरक्षण, खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास तथा खानों में पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने में कार्यरत है।

### फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (राजस्थान खान और भूविज्ञान विभाग):

- राजस्थान खान और भूविज्ञान विभाग (DMG) राज्य में खनिज अन्वेषण, प्रशासन और राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है।
- **मुख्यालय** : उदयपुर।
- खनिज भंडारों की खोज, अन्वेषण और व्यवस्थित विकास।
- खनिज पट्टे देना, राजस्व संग्रह, किराया वसूली, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल खनन सुनिश्चित करना आदि।

## 15 दिवसीय 'ग्राम रथ अभियान'

### चर्चा में क्यों?

- राजस्थान सरकार द्वारा 27 अप्रैल, 2026 से 'ग्राम रथ अभियान' की शुरुआत की गई।



### मुख्य बिन्दु:

- यह 15 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026' (GRAM-2026) का प्रचार करना और किसानों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।
- साथ ही, कृषि, पशुपालन, डेयरी, और ग्रामीण विकास सहित 13 प्रमुख विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाना भी इसका प्राथमिक लक्ष्य है।
- शुभारंभ :** हरीश चंद्र माथुर राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (HCM RIPA), जयपुर से।

### फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (GRAM-2026):

- ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM) -2026 राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्य के कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक, नवाचार और निवेश के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाना है।
- आयोजन :** 23 से 25 मई, 2026 तक।
- स्थान :** जयपुर एग्जिबिशन एण्ड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा, जयपुर।

--:5:--

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>जयपुर रेंज पुलिस का 'मिशन सेफर रोड'</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, राजस्थान पुलिस द्वारा 'मिशन सेफर रोड' नामक डिजिटल पहल की शुरुआत की गई।</li><li><b>मुख्य उद्देश्य :</b> जयपुर से दिल्ली, आगरा, अजमेर और सीकर की ओर जाने वाले यात्रियों को खतरनाक रास्तों या 'ब्लैक स्पॉट्स' के बारे में पूर्व में सचेत करना, जहाँ दुर्घटनाओं का खतरा सबसे अधिक रहता है।</li><li>राजस्थान पुलिस ने इन ब्लैक स्पॉट्स को जोखिम की गंभीरता के आधार पर तीन रंगों (रेड जोन, ऑरेंज जोन और येलो जोन) में बाँटा है।</li></ul>
2.	<p><b>IIT जोधपुर में टी-55 टैंक एवं 'धर्म' भित्ति शिल्प का लोकार्पण</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर में हाल ही में टी-55 टैंक एवं 'धर्म' भित्ति शिल्प का लोकार्पण किया गया।</li><li>संस्थान के मुख्य द्वार पर स्थापित 'शौर्य स्थल' में टी-55 मुख्य युद्धक टैंक को प्रदर्शित किया गया है।</li><li>यह टैंक भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और विशेष रूप से वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध में निर्णायक योगदान के लिए जाना जाता है।</li><li>प्रशासनिक भवन पर स्थापित भव्य भित्ति (Mural) शिल्प महाभारत के 'धर्म युद्ध' की अवधारणा को दर्शाता है। यह संस्थान के उस दृष्टिकोण का प्रतीक है, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक उत्कृष्टता के साथ जोड़ा गया है।</li></ul>

## भूगोल एवं भू-विज्ञान


### लघु जल विद्युत विकास योजना

#### चर्चा में क्यों?


- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु जलविद्युत (एसएचपी) विकास योजना को मंजूरी दी है।

#### मुख्य बिन्दु:

- जलविद्युत एक सुस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए बहते पानी का उपयोग करता है।



- भारत में, बड़े और छोटे जलविद्युत परियोजनाओं के बीच प्राथमिक अंतर उनकी स्थापित क्षमता और संबंधित मंत्रिस्तरीय क्षेत्राधिकार में निहित है।
- लघु जलविद्युत परियोजनाओं को उन परियोजनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी स्थापित क्षमता 25 मेगावाट तक होती है, और इनका प्रशासन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ विद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।



## लघु जल विद्युत विकास योजना

- यह लघु जलविद्युत परियोजनाओं को एक दीर्घकालिक, पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देता है जिसका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।

- इसका उद्देश्य रोजगार सृजन, स्थानीय निवेश को प्रोत्साहन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करके समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, जिससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भविष्य में योगदान मिलेगा।
- यह विभिन्न राज्यों में स्थापित होने वाली छोटी जलविद्युत परियोजनाओं (1-25 मेगावाट क्षमता के बीच) को समर्थन देगा।
- इस योजना का लक्ष्य लगभग 1,500 मेगावाट की लघु जलविद्युत क्षमता विकसित करना है, विशेष रूप से पहाड़ी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जहाँ अप्रयुक्त क्षमता और सीमित ऊर्जा पहुँच है।

## SMALL HYDRO POWER DEVELOPMENT SCHEME

(At a Glance)

- ₹ 2,584.60 crore outlay to develop approximately 1500 MW of capacity (FY 2026-31).
- Targets small hydro projects (1-25 MW), with a focus on hilly & North Eastern regions.
- Higher financial support: Up to ₹ 3.6 crore/MW (30%) for NE & border areas (cap: ₹ 30 crore).
- Standard support: Up to ₹ 2.4 crore/MW (20%) for other states (cap: ₹ 20 crore).
- The scheme is expected to generate 51 lakh person-days of employment.

Source: MNRE


--:9:--

## भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

### अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त

#### चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है और अशोक लाहिड़ी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है तथा इसके पाँच पूर्णकालिक सदस्यों में से चार को बदल दिया है।



#### मुख्य बिन्दु:

#### नीति आयोग

- **स्थापना:** नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग एक सरकारी थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी।
- **उद्देश्य:** इसने योजना आयोग का स्थान लिया, जिसका उद्देश्य सतत विकास, नीतिगत नवाचार और शासन सुधार जैसे अधिक समकालीन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना था।

# Daily Current Affairs

Date : 28 April, 2026



- **संरचना:** इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में करते हैं, जबकि उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यकारी कार्यों का नेतृत्व करते हैं।
- **शासी परिषद:** भारत के प्रधानमंत्री,
  - इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।
  - दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर
  - नीति आयोग के उपाध्यक्ष,
  - नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य।

योजना आयोग और नीति आयोग के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं:

पहलू	योजना आयोग	नीति आयोग
उद्देश्य	केंद्रीकृत पंचवर्षीय योजना और संसाधन आवंटन।	सहकारी संघवाद, दीर्घकालिक विकास और नीति अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करें।
संरचना	प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, एक उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के साथ।	प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, एक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और शासी परिषद के साथ।
दृष्टिकोण	ऊपर से नीचे की ओर, केंद्रीकृत योजना।	नीचे से ऊपर की ओर, राज्यों की भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करना।
शासन में भूमिका	नीति कार्यान्वयन पर कार्यकारी अधिकार।	प्रत्यक्ष प्रवर्तन शक्ति के बिना सलाहकार निकाय।
पंचवर्षीय योजनाएँ	पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन किया।	यह पंचवर्षीय योजनाएँ नहीं बनाता, बल्कि दीर्घकालिक नीति पर ध्यान केंद्रित करता है।

-:11:-

## राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा का अधिकार

### चर्चा में क्यों?

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

**RIGHT TO SAFE TRAVEL ON HIGHWAYS IS PART OF ARTICLE 21: SC**

**SUPREME COURT ISSUES NATIONWIDE DIRECTIONS TO STRENGTHEN HIGHWAY SAFETY**

**ARTICLE 21 RIGHT TO LIFE & PERSONAL LIBERTY**

**“The safety of the commuter is an integral facet of the Right to Live with Dignity.”**

**KEY DIRECTIONS**

- Ban on unauthorised dhabas/structures within ROW
- No licence/NOC without NHAI/PWD clearance; review of existing licences within 30 days
- No parking of heavy/commercial vehicles on carriageway or shoulder except at designated bays
- DMs to remove unauthorised structures within 60 days; District Highway Safety Task Force to be constituted
- ATMS, real-time alerts, GPS evidence & e-Challan for tech-driven enforcement
- MoRTH to submit compliance report to SC within 75 days

**2% OF INDIA'S ROAD NETWORK ACCOUNTS FOR 30% OF ROAD FATALITIES**

**PREVENT TODAY, SAVE TOMORROW**

### मुख्य बिन्दु:

#### संवैधानिक व्याख्या

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 राज्य पर यात्रियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का सकारात्मक दायित्व डालता है।
- अवैध पार्किंग, गड्डों या असुरक्षित बुनियादी ढांचे जैसी टाली जा सकने वाली आपदाओं के कारण होने वाली मौतें इस कर्तव्य की विफलता के बराबर हैं।

--:12:--

## न्यायालय द्वारा जारी प्रमुख निर्देश


- न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के अधिकार क्षेत्र में नए ढाबों, भोजनालयों या वाणिज्यिक संरचनाओं के निर्माण या संचालन पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया।
- इसमें राजमार्गों, पक्की सड़कों या पक्के किनारों पर भारी और वाणिज्यिक वाहनों की पार्किंग या रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सिवाय निर्दिष्ट ले-बाय या सड़क किनारे की सुविधाओं के, ताकि अंधे स्थानों में दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
- जिला मजिस्ट्रेटों को 60 दिनों के भीतर सभी अनधिकृत ढांचों को हटाने या ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है।
- NHAI या PWD से पूर्व अनुमति के बिना कोई भी प्राधिकरण राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्रों के भीतर लाइसेंस या अनुमोदन प्रदान नहीं कर सकता है।
- सुरक्षा मानदंडों की निगरानी और प्रवर्तन के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला राजमार्ग सुरक्षा कार्य बल की स्थापना की जानी चाहिए।

## योजनाएँ एवं नीतियाँ

### स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स (SIFoF) 2.0 योजना

#### चर्चा में क्यों?

- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स (SIFoF) 2.0 योजना के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।



#### मुख्य बिन्दु:

- यह वर्ष 2016 में शुरू की गई 'स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स' (FFS 1.0) योजना की सफलता पर आधारित है।
- इसका उद्देश्य वित्तपोषण संबंधी कमियों को दूर करने के साथ-साथ स्टार्टअप्स हेतु घरेलू उद्यम पूंजी बाजार को उत्प्रेरित करना है।

#### SIFoF 2.0 योजना:

- कुल कॉर्पस: 10,000 करोड़ रुपये।
- मंत्रालय: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।

# Daily Current Affairs

Date : 28 April, 2026



- **लक्ष्य:** डीप टेक और तकनीकी-संचालित नवाचारी विनिर्माण को समर्थन देना तथा शुरुआती चरण के संस्थापकों को सशक्त बनाना।
- **कार्यप्रणाली:** इसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के पास पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) के माध्यम से लागू किया जाएगा, ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले और स्टार्टअप वित्तपोषण तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।



-:15:-

## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

### फॉकलैंड द्वीप

#### चर्चा में क्यों?

- यूनाइटेड किंगडम ने फॉकलैंड द्वीप समूह पर अपनी संप्रभुता में किसी भी बदलाव को खारिज कर दिया। इस द्वीप के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका का पक्ष अभी भी स्पष्ट नहीं है।



#### मुख्य बिन्दु:

#### फॉकलैंड द्वीप:

- यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में यूनाइटेड किंगडम का आंतरिक रूप से स्वशासित विदेशी क्षेत्र है।
- फॉकलैंड द्वीप समूह कई द्वीपों का एक समूह है, जिसमें दो बड़े द्वीप (पूर्वी फॉकलैंड और पश्चिमी फॉकलैंड) और कई सौ लघु द्वीप शामिल हैं।
- यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से लगभग 480 किमी उत्तर-पूर्व में स्थित है। यह मैगलन जलडमरूमध्य के पूर्व में भी उतनी ही दूरी पर स्थित है।
- इन द्वीपों पर अर्जेन्टीना भी अपनी संप्रभुता का दावा करता है। इस विवाद के कारण दोनों देशों के बीच 1982 में युद्ध हुआ था।

## एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम (Atelasi)

- चर्चा में क्यों?
- चीन का एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंताएं पैदा कर रहा है।



### मुख्य बिन्दु:

#### एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम (Atelasi):

- परिचय:** यह एक ट्रक आधारित ड्रोन स्वार्म प्लेटफॉर्म है। यह एक ही सिस्टम से कई ड्रोन तैनात और नियंत्रित करने के लिए लॉन्च, कमांड और सपोर्ट इकाइयों को एकीकृत करता है।
- क्षमता:** यह तेजी से 96 ड्रोन तक लॉन्च कर सकता है। यह एक ही ऑपरेटर को निगरानी, संचार और हमले के कार्यों को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- सुरक्षा निहितार्थ:** यह चीन को युद्ध क्षमता के मामले में बढ़त प्रदान करता है और भारत की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए चुनौती पेश करता है।

## बनेई मेनाशे समुदाय

### चर्चा में क्यों?

- मणिपुर और मिजोरम के बनेई मेनाशे समुदाय के 240 से अधिक सदस्यों को इजराइल सरकार द्वारा तेल अवीव में स्थानांतरित किया गया।



### मुख्य बिन्दु:

#### बनेई मेनाशे समुदाय:

- यह मणिपुर और मिजोरम का एक यहूदी-पहचान वाला समुदाय है।
- ये मिज़ो-कुकी जनजातियों से संबंधित हैं। ये जनजातियाँ इजरायल की "दस खोई हुई जनजातियों" (मेनाशे की जनजाति) में से एक की वंशज होने का दावा करती हैं।
- इस जनजाति को 722 ईसा पूर्व में असीरियाई विजेताओं द्वारा निर्वासित कर दिया गया था।
- बनेई मेनाशे का अर्थ हिब्रू में मनश्शे की संतान है। मनश्शे जोसेफ का प्रथम पुत्र था।

## पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

### परियोजना AI4जलनीति



#### मुख्य बिन्दु:

- प्रोजेक्ट AI4WaterPolicy ने राजस्थान में समुदाय-नेतृत्व वाले विकास में मदद की।
- एआई4वाटर पॉलिसी पायलट परियोजना को राजस्थान के जल संकटग्रस्त सिरोही और पाली जिलों में तैयार किया गया था।
- एक फील्ड पार्टनर के साथ मिलकर काम करते हुए, एक एआई मॉडल ने छह महीनों में 50 गांवों में 352 साक्षात्कार आयोजित किए।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किए गए वास्तविक समय के विषयगत विश्लेषण से लैंगिक बोझ, वित्तपोषण में देरी और पंचायत प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की कमी जैसे मुद्दे सामने आए।

## जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धताओं को सुरक्षित करने के लिए संस्थागत क्षमताओं का सुदृढीकरण परियोजना

### चर्चा में क्यों?

- तमिलनाडु और मेघालय में जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए परियोजना शुरू की गई।

### मुख्य बिन्दु:

- यह परियोजना केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) द्वारा शुरू की गई है।

### परियोजना के बारे में

- **संयुक्त पहल:** यह भारत सरकार, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की संयुक्त पहल है।
- **वित्तीय अनुदान:** 4.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर।
- **क्रियान्वयन अवधि:** 5 वर्ष के लिए (2025-2030)।

### अवस्थिति:

- **तमिलनाडु:** पश्चिमी और पूर्वी घाटों के संगम पर सत्यमंगलम भू-क्षेत्र, जिसमें मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व शामिल हैं।
- **मेघालय:** गारो हिल्स में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और सिजू वन्यजीव अभयारण्य।

## ⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 🌡️

### भारत की अंतरिक्ष-अर्थव्यवस्था

#### 📢 चर्चा में क्यों?

- भारत की अंतरिक्ष-अर्थव्यवस्था में पिछले पांच वर्षों में निजी क्षेत्र का निवेश 600 मिलियन डॉलर को पार किया।



#### 📌 मुख्य बिन्दु:

#### अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी

- **स्टार्टअप्स की संख्या में तीव्र वृद्धि:** अंतरिक्ष क्षेत्रक में स्टार्टअप्स की संख्या 2019 में एकल अंकों में थीं, जो बढ़कर 2026 की शुरुआत तक 400 से अधिक हो गई।
- **विविध क्षेत्रकों में भागीदारी:** स्टार्टअप्स अंतरिक्ष क्षेत्रक की पूरी मूल्य श्रृंखला में सक्रिय हैं। इनमें प्रक्षेपण यान, सैटेलाइट एवं पेलोड विनिर्माण, जमीनी अवसंरचना विकास आदि शामिल हैं।

# Daily Current Affairs

Date : 28 April, 2026



- **निजी क्षेत्र द्वारा पहला रॉकेट प्रक्षेपण:** वर्ष 2022 में विक्रम-S निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत का पहला रॉकेट बना। इसे "मिशन प्रारंभ" के तहत प्रक्षेपित किया गया।  
**अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्त्व/आवश्यकता**
- **उच्च संवृद्धि क्षमता:** भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्ष 2033 तक लगभग 44 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है (विश्व में लगभग 8% हिस्सेदारी)। वर्ष 2040 तक यह बढ़कर 100 अरब डॉलर हो सकती है (विश्व में लगभग 10% हिस्सेदारी)।
- **अवसंरचना विकास:** इसमें निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह (PPP मॉडल पर आधारित), साइज़ा सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म विकास, आदि शामिल हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत के निजी क्षेत्र को नीतिगत समर्थन और समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **विस्तारित पहुँच और बेहतर सेवाएँ:** निजी क्षेत्र की कंपनियाँ किफायती सैटेलाइट इंटरनेट, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन सेवाओं को वंचित क्षेत्रों तक पहुंचा सकती है।  
**अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहलें**
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** यह नीति गैर-सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में शुरू से लेकर अंत तक भागीदारी की अनुमति देती है।
- **प्रमुख संगठन:** IN-SPACE, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इंडियन स्पेस एसोसिएशन जैसे संगठन अंतरिक्ष से जुड़े क्रियाकलापों का विनियमन, प्रोत्साहन और व्यावसायीकरण का कार्य करते हैं।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** सैटेलाइट निर्माण और संचालन में 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा प्रक्षेपण यान, स्पेसपोर्ट आदि में 49% तक FDI की अनुमति दी गई है।
- **स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SpIN):** यह अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप्स तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक-निजी उद्योग सहयोग मंच है।
- **वित्तीय सहायता:** इसमें वेंचर कैपिटल फंड (सिडबी ने 1,000 करोड़ रुपये का फंड संचालित किया), प्रौद्योगिकी अंगीकरण निधि, सीड फंड योजना आदि शामिल हैं।
- **अन्य पहलें:** विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम।

--:22:--